न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(अरूण कुमार हसीजा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
नामान्तरण अपील संख्याः 25/2024
दायर दिनांकः 19.06.2024
निर्णय दिनांक 22.12.2025

—: अनवान :—

श्रीमति सीमा कुंवर पिता श्री नरपत सिंह जी चुण्डावत (पति श्री महावीर सिंह राठोड) उम्र 38 वर्ष निवासी गुडा दुर्जन सिंह, गुडा राम सिंह, पाली (राज.) हाल निवासी भीमनगर डिंडोली सूरत गुजरात

— अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमति मीठू कुंवर पति श्री नरपत सिंह जी चुण्डावत उम्र वयस्क निवासी भेरूदास जी का खेड़ा पोस्ट गोवल पंचायत समिति सेलागुडा तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज.) हाल निवासी उदावतो का खेड़ा आगरिया तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज.)
2. श्रीमति बेबी कुंवर पिता श्री मोहन सिंह जी राजपुत उम्र वयस्क निवासी मोरडीया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय आमेट तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज.)

— रेस्पोंडेन्टगण

अपील विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 76 दिनांक 08/10/2001 जो विद्धवान न्यायालय तहसीलदार सा0 आमेट जिला राजसमन्द द्वारा प्रशासन शहरो के संग अभियान वर्ष 2001 में फरमाया गया है।

उपस्थित :—

1. श्री सुनिल कुमार बोहरा, अधिवक्ता अपीलांट
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 अनुपस्थित (एकपक्षीय कार्यवाही)
3. श्री अनिल बागोरा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3

—:: निर्णय ::—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार आमेट द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 76 फैसल दिनांक 08.10.2001 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थिया/अपीलार्थीया के पिता एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 के पति श्री नरपत सिंह पिता श्री गिरधारी सिंह जी चुण्डावत निवासी

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

भेरूदास जी का खेडा पोस्ट गोवल पंचायत समिति सेलागुडा तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज.) थे, जिनका स्वर्गवास 1992 में हो चुका है। श्री नरपत सिंह पिता श्री गिरधारी सिंह जी चुण्डावत निवासी भेरुदास जी का खेड़ा पोस्ट गोवल पंचायत समिति सेलागुडा तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज.) के स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम भेरुदास जी का खेडा पोस्ट गोवल पंचायत समिति सेलागुडा तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज.) में कृषि भूमिया स्थित है, जिनके खाता संख्या 44, 45, 46, 47 है। खाता संख्या 44 में 4 खसरे व रकबा 5.6100 हेक्टर भूमि, खाता संख्या 45 में 1 खसरा व रकबा 0.0300 हेक्टर भूमि, खाता संख्या 46 में 1 खसरा व रकबा 0.0300 हेक्टर भूमि, खाता संख्या 47 में 20 खसरे व रकबा 7.7200 हेक्टर भूमि स्थित है। श्री नरपत सिंह के स्वर्गवास के पश्चात प्रत्यर्थी संख्या 2 ने, प्रार्थिया एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 को उनके हको से महरूम कर संपत्ति को हड़पने के दुराशय से प्रत्यर्थी संख्या 3 से मिलीभगत करके स्वर्गीय श्री नरपत सिंह के स्वर्गवास के पश्चात प्रत्यर्थी संख्या 2 को उनकी पत्नी होना गलत वर्णित करके केवल प्रत्यर्थी संख्या 2 के ही जीवित विधिक उत्तराधिकारी होना वर्णित कर जानबुझकर मिथ्या एवं झूठे तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर आलौच्य नामान्तरकरण आदेश प्रशासन शहरो के संग अभियान वर्ष 2001 में दिनांक 08.10.2001 को किया गया है। जिसमे न तो कोई जाँच की गई है और नही कोई विधिक प्रक्रिया अपनाई गई है। जो प्रारम्भ से ही शुन्य होकर, अवेध होने से खारिज होने योग्य है। आलौच्य नामान्तरकरण आदेश कर सत्यापन किए जाने के लिए पत्रावली पर कोई साक्ष्य व आधार उपलब्ध नहीं होते हुए प्रशासन शहरों के संग अभियान वर्ष 2001 में आंकड़ो कि पूर्ति करने हेतु सामान्य प्रक्रिया (Routine Process) अपनाते हुए अति संक्षिप्त आलौच्य नामान्तरकरण आदेश विधि विरुद्ध फरमाया गया है, जो प्रारम्भ से ही शुन्य है। उक्त आलौच्य नामान्तरकरण आदेश विधि विरुद्ध, अनरिजन्ड है तथा स्पीकिंग आर्डर भी नहीं है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की प्रथम सूचि के अनुसार पुत्र, पुत्री, व पत्नी को ही विधिक उत्तराधिकारी माना गया है। कानूनन द्वितिय पत्नी को न तो विधिक पत्नी माना गया है और नहीं विधिक उत्तराधिकारी माना गया है। फिर भी विद्धवान अवर न्यायालय द्वारा बिना कोई जाँच किए, आंख बंद कर, बिना कोई मस्तिष्क उपयोग किए ही आलौच्य नामान्तरकरण आदेश पारित किया है, जो प्रारम्भ से ही शुन्य होकर अवैध है। विद्धवान अवर न्यायालय द्वारा आलौच्य नामान्तरकरण आदेश पारित करने में तथ्यों एवं विधि के मामले में स्पष्ट त्रुटि की ही है, साथ ही एक अवैध, अनुचित, अनियमीत एवं अनुपयुक्त आदेश फरमाया गया है, जिससे स्पष्ट न्याय का हनन होता है। जो कानूनन निरस्त फरमाये जाने योग्य है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थिया/ अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार फरमाया जाकर विद्धवान अवर न्यायालय तहसीलदार साहब आमेट जिला राजसमन्द द्वारा आलौच्य नामान्तरकरण आदेश कर प्रमाणित/सत्यापन प्रशासन शहरो के संग अभियान वर्ष 2001 में दिनांक 08.10.2001 को किया गया है, जिसके नामान्तरकरण संख्या 76 है। उक्त आलौच्य नामान्तरकरण आदेश को निरस्त फरमाया जाकर स्वर्गीय श्री नरपत सिंह के बजाय प्रार्थिया/अपीलार्थीया एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम पर नामान्तरकरण के आदेश फरमाया जाने की कृपा करावें।

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)

अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना दिनांक 03.10.2025 को अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की आज्ञा पारित की गयी। तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थिति।

दोनो पक्षों की बहस सुनी गयी। सर्व प्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण सन्तोषप्रद प्रतीत होने से विलम्ब अवधि को कन्डोन किया जाकर अपील को अवधि मे शुमार किया जाता है।

उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने बहस कथन में अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थिया/अपीलार्थीया के पिता एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 के पति श्री नरपत सिंह पिता श्री गिरधारी सिंह जी चुण्डावत निवासी भेरूदास जी का खेडा पोस्ट गोवल पंचायत समिति सेलागुडा तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज.) थे, जिनका स्वर्गवास 1992 में हो चुका है। श्री नरपत सिंह के स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम भेरुदास जी का खेडा में कृषि भूमिया स्थित है, जिनके खाता संख्या 44, 45, 46, 47 है। खाता संख्या 44 में 4 खसरे व रकबा 5.6100 हेक्टर भूमि, खाता संख्या 45 में 1 खसरा व रकबा 0.0300 हेक्टर भूमि, खाता संख्या 46 में 1 खसरा व रकबा 0.0300 हेक्टर भूमि, खाता संख्या 47 में 20 खसरे व रकबा 7.7200 हेक्टर भूमि स्थित है। श्री नरपत सिंह के स्वर्गवास के पश्चात प्रत्यर्थी संख्या 2 ने, प्रार्थिया एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 को उनके हक्रो से महरूम कर संपत्ति को हड़पने के दुराशय से प्रत्यर्थी संख्या 3 से मिलीभगत करके स्वर्गीय श्री नरपत सिंह के स्वर्गवास के पश्चात प्रत्यर्थी संख्या 2 को उनकी पत्नी होना गलत वर्णित करके केवल प्रत्यर्थी संख्या 2 के ही जीवित विधिक उत्तराधिकारी होना वर्णित कर जानबुझकर मिथ्या एवं झूठे तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर आलौच्य नामान्तरकरण आदेश प्रशासन शहरो के संग अभियान वर्ष 2001 में दिनांक 08.10.2001 को किया गया है। जिसमे न तो कोई जाँच की गई है और नही कोई विधिक प्रक्रिया अपनाई गई है। जो प्रारम्भ से ही शुन्य होकर, अवेध होने से खारिज होने योग्य है। आलौच्य नामान्तरकरण आदेश कर सत्यापन किए जाने के लिए पत्रावली पर कोई साक्ष्य व आधार उपलब्ध नहीं होते हुए प्रशासन शहरों के संग अभियान वर्ष 2001 में आंकड़ो कि पूर्ति करने हेतु सामान्य प्रक्रिया (Routine Process) अपनाते हुए अति संक्षिप्त आलौच्य नामान्तरकरण आदेश विधि विरुद्ध फरमाया गया है, जो प्रारम्भ से ही शुन्य है। उक्त आलौच्य नामान्तरकरण आदेश विधि विरुद्ध, अनरिजन्ड है तथा स्पीकिंग आर्डर भी नहीं है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की प्रथम सूचि के अनुसार पुत्र, पुत्री, व पत्नी को ही विधिक उत्तराधिकारी माना गया है। कानूनन द्वितिय पत्नी को न तो विधिक पत्नी माना गया है और नहीं विधिक उत्तराधिकारी माना गया है। फिर भी विद्धवान अवर न्यायालय द्वारा बिना कोई जाँच किए, आंख बंद कर, बिना कोई मस्तिष्क उपयोग किए ही आलौच्य नामान्तरकरण आदेश पारित किया है, जो प्रारम्भ से ही शुन्य होकर अवैध है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार आमेट द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 76 दिनांक 08.10.2001 को अपास्त फरमाया जावे।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, आमेट द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में अपीलांट मृतक काश्तकार की पुत्री है जिसका नाम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित नामांतरकरण संख्या 76 दिनांक 08.10.2001 में दर्ज नही किया गया हैं। इसमें मृतक की दो पत्नियॉ होना जाहिर हुआ हैं तथा नामांतरकरण मृतक की दुसरी पत्नि के नाम पर खोला जाना भी जाहिर हुआ हैं। इस संबंध में इस बात में कोई भी संशय नही है कि काश्तकार की मृत्यु के बाद उसके विधिक उतराधिकारियों के नाम नामांतरकरण खोला जाता हैं। लेकिन विचाराधीन प्रकरण में ऐसा नही होने से अपीलार्थीया का नाम दर्ज नही हुआ। जो कि होना चाहिए था। यह एक परिक्षण का विषय है कि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुसार द्वितीय पत्नि के क्या अधिकार होते हैं। इससे यह जाहिर होता है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण जानकारी किये बिना उक्त नामांतरकरण को फैसल किया हैं। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णित नामांतरकरण निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार आमेट द्वारा स्वीकृत आक्षेपित नामान्तरकरण संख्या 76 दिनांक 08.10.2001 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार आमेट को प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता हैं। कि मृतक काश्तकार के हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अनुसुचि के उत्तराधिकारीयों की जॉच कर नियमानुसार नामान्तरण की कार्यवाही नये सिरे से किया जाना सुनिश्चित करें।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 22.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद